भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1583

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023

1583. श्री मनोज तिवारीः

श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री शंकर लालवानीः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री जुगल किशोरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई नीति के द्वारा विज्ञापन के लिए आबंटित सरकारी योजनाओं की प्रतिशतता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विज्ञापन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के आमंत्रण और चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) भारत सरकार के कार्यार्थी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इंगित मैसेजिंग की प्रकृति, लक्षित आडियंस, बजट की उपलब्धता आदि के आधार पर डिजिटल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विभिन्न सरकारी स्कीमों, कार्यक्रमों और पहलों के लिए जागरुकता और प्रचार अभियान चलाता है।

सीबीसी ने दिनांक 9 नवंबर, 2023 को डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 अधिसूचित की है। यह नीति इम्पैनेलमेंट प्रक्रिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों यथा ओटीटी, पॉडकॉस्ट, इंटरनेट वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन आदि के चयन और ऐसे प्लेटफॉर्मों पर जागरुकता/प्रचार अभियानों को जारी करने संबंधी मानदंड निर्धारित करती है।

*****